उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
**संख्या -**10/2022/130**/78-2-2022/112आईटी/2016**
लखनऊ, दिनांक 04 मार्च ,2022
कार्यालय ज्ञाप

आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-25/2021/1615(1)78-2-2021-112 आई.टी./2016 दिनांक 20-12-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईटी पूल फण्ड से सहकारिता विभाग एवं अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग में शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति से आम–जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल धनराशि रू0-1,11,52,740/- की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0- 11,15,274/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग हेतु धनराशि रू0- 62,88,810/- की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0- 6,28,881/- की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी है।

2- विशेष सचिव, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-33/52-4-2022 दिनांक 03-02-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 10-01-2022 में लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में निगम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त् निगम द्वारा निर्दिष्ट / वित्त पोषित योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय निगम से प्राप्त धनराशि को वापस किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। बोर्ड के निर्णय के बाद आईटी पूल फण्ड से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष शासकीय सेवाएं अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति से आम- जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की सम्भवना समाप्त हो गयी है। इस प्रकार उक्त धनराशि के व्यय से शासकीय एवं जनहित दोनों सिद्व नहीं होगा।

3- अत: उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-25/2021/1615(1)78-2-2021-112आई.टी. /2016 दिनांक 20-12-2021 द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को वेब पोर्टल के विकास हेतु प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा धनराशि रू0- 6,28,881/- की वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा निरस्त की जाती है।

4- उक्त के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 20-12-2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते / प्रतिबन्द्व यथावत रहेगें ।

कुमार विनीत
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2022/130(1)/78-2-2022 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि रू0- 6,28,881/- को कार्यदायी संस्था यूपीएलसी / अपट्रान पावरट्रानिक्स हेतु आवंटित न की जाए, यदि धनराशि आहरित कर ली गयी हो तो उसे तत्काल सुसंगत लेखाशीर्ष के अन्तर्गत समर्पित करते हुए इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- महालेखाकर (लेखा-परीक्षा ), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।

4- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्ययक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी /अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्ययक वित्तीय एवं विकास लि0, लखनऊ।

7- राज्य समन्वयक, सीईजी लखनऊ।

8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

9- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।

11- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।